झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विधिक याचिका संख्या 588/2021

भगवान लाल महली उर्फ भगवान लाल महली, उम्र लगभग 27 वर्ष,पिता गंगा राम महली, निवासी गाँव धटका, नयाग्राम, डाकघर और थाना डुमरिया, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य एवं अन्य
2. प्रिया महली,पिता अशोक महली,निवासी गाँव लाटिया (डुंगरीडीह), डाकघर बडिया, थाना मुसबानी, जिला पूर्वी सिंगभूम

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री. कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता
श्री मो. असगर, अधिवक्ता
श्री राज वर्धन, अधिवक्ता
राज्य के लिए: सुश्री. प्रिया श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक
विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए: श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई है, जिसमें प्राथना की गई है कि एफ.आई.आर. और 03.12.2020 को मुसाबनी थाना मामला संख्या 58/2020 के संबंध में पारित संज्ञान आदेश को रद्द किया जाए, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है और इसके अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रक्रिया को रद्द किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अंतरिम आवेदन संख्या 244/2022 को 03.12.2020 के आदेश और 17.02.2021 को पारित आरोप तय करने के आदेश को अतिरिक्त रूप से रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, सूचनाकर्ता/पीड़िता, जो 30 वर्ष की महिला हैं, ने सोशल मीडिया के माध्यम से याचिकाकर्ता को जाना और उनके साथ बातचीत शुरू की। एफ.आई.आर. दर्ज करने से तीन साल पहले, वे मिले और याचिकाकर्ता ने पीड़िता पर शारीरिक संबंध स्थापित करने का दबाव डाला। याचिकाकर्ता ने विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध स्थापित किया और पीड़िता से कहा कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा। लेकिन बाद में सूचनाकर्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता अपने परिवार के द्वारा चुनी गई एक महिला से शादी करने जा रहा है, इसलिए उसने एफ.आई.आर. दर्ज कराई।
धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में, पीड़िता ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से याचिकाकर्ता को जानने के बाद, उसने मुसाबनी में कई बार

याचिकाकर्ता से मुलाकात की। वे जमशेदपुर में भी मिले और इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता ने याचिकाकर्ता के साथ केवल इसलिए शारीरिक संबंध स्थापित किया क्योंकि याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था। फिर सूचनाकर्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता की शादी किसी अन्य महिला से हो रही है। सूचनाकर्ता ने याचिकाकर्ता को बताया कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध केवल इसलिए स्थापित किए थे क्योंकि याचिकाकर्ता उससे शादी करेगा और पूछा कि वह किसी अन्य महिला से क्यों शादी कर रहा है, इस पर याचिकाकर्ता ने फिर से सूचनाकर्ता से शादी करने का वादा किया। सूचनाकर्ता ने याचिकाकर्ता के पिता और माता से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वे सूचनाकर्ता की शादी याचिकाकर्ता से करेंगे, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें सूचनाकर्ता पसंद नहीं है और उन्होंने याचिकाकर्ता की सूचनाकर्ता से शादी करने से मना कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हैं, जो सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में है, जो एआइआर 2021 एससी 1405 में रिपोर्ट किया गया है, जिसके अनुच्छेद 9 से 19 तक के अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

"9. प्रमोद सूर्यभान पवार में (उपरोक्त), समान स्थिति से निपटते समय, कानून के उन सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया जो वर्तमान जैसी स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए, निम्नलिखित टिप्पणियों में:

> *"जहाँ विवाह का वादा झूठा होता है और वादा करने वाले की उस समय की मंशा इसे मानने की नहीं बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए मनाने की होती है, वहाँ 'तथ्य की भ्रांति' होती है जो महिला की 'सहमति' को नष्ट कर देती है। दूसरी ओर, वादे का उल्लंघन झूठे वादे के रूप में नहीं कहा जा सकता। झूठे वादे को स्थापित करने के लिए, वादा करने वाले को इसे देने के समय अपने शब्द को बनाए रखने की कोई मंशा नहीं होनी चाहिए।"*

10. इसके अलावा, न्यायालय ने कहा है:

> *"उपर्युक्त मामलों से उभरने वाली कानूनी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करते हुए, धारा 375 के संदर्भ में एक महिला की 'सहमति' में प्रस्तावित कार्य के प्रति सक्रिय और विचारशील विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि 'सहमति' को विवाह के वादे से उत्पन्न 'तथ्य की भ्रांति' द्वारा नष्ट किया गया था, दो प्रस्तावों को स्थापित करना आवश्यक है। विवाह का वादा झूठा होना चाहिए, जो बुरी नीयत से दिया गया हो और जिसे दिए जाने के समय बनाए रखने की कोई मंशा न हो। झूठा वादा स्वयं तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, या महिला के यौन संबंध बनाने के निर्णय से सीधे संबंध रखना चाहिए।"*

11. उपरोक्त निर्णय में स्थापित परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए, हम इस विचार में हैं कि भले ही एफआइआर में सभी आरोपों को सही मान लिया जाए, जो कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निरस्तीकरण के आवेदन पर विचार करने के लिए है, कोई अपराध स्थापित नहीं हुआ है। दूसरे प्रतिवादी को दिया गया विवाह का वादा प्रारंभ में झूठा होने का कोई आरोप नहीं है। इसके विपरीत, एफआइआर की सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा

दूसरे प्रतिवादी से विवाह करने से बाद में इनकार किया गया, जिससे एफआइआर का पंजीकरण हुआ। इन तथ्यों के आधार पर, हम इस विचार में हैं कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को सुनने से इनकार करते समय गलती की, यह आधार बनाते हुए कि केवल परीक्षण में सबूत ही यह निर्धारित करेगा कि क्या कोई अपराध स्थापित हुआ है। (जोर दिया गया)

और यह प्रस्तुत करता है कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया विवाह का वादा झूठा होने का कोई आरोप नहीं है, न ही तथ्य की भ्रांति घटना के समय के करीब थी। बल्कि, यह स्पष्ट रूप से तीन वर्षों के दौरान थी।

6. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पीड़िता लड़की से प्यार करता है, लेकिन याचिकाकर्ता के माता-पिता ने उसकी शादी की सूचना देने वाले के साथ विवाह कराने से इनकार कर दिया, इसलिए यह झूठा मामला थोप दिया गया है। इसके बाद यह कहा गया है कि स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और हालांकि आरोप तय किया गया है, लेकिन आज तक अभियोजन द्वारा एक भी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार, मामला प्रारंभिक चरण में है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनता। अतः, यह प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. और 03.12.2020 को जारी की गई संज्ञान आदेश, मुसाबनी थाना केस संख्या 58/2020 के संदर्भ में जी.आर. संख्या 367/2020 (एस.टी. संख्या 31/2021) के अनुरूप है, और इसके अंतर्गत सभी आपराधिक कार्यवाही जो अब न्यायालय में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, घाटशिला में लंबित है, उसे निरस्त और रद्द किया जाए।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक और दूसरी पार्टी के लिए अधिवक्ता, दूसरी ओर, एफ.आई.आर. और साथ ही 03.12.2020 को मुसाबनी थाना केस संख्या 58/2020 में पारित संज्ञान आदेश, जो जी.आर. संख्या 367/2020 (एस.टी. नं. 31/2021) के अनुरूप है, और इसके अंतर्गत सभी आपराधिक कार्यवाही जो अब माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, घाटशिला के न्यायालय में लंबित है को निरस्त और रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं। दूसरी पार्टी के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दूसरी पार्टी ने कोई डिस्चार्ज याचिका दायर नहीं की है और आरोपों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की पीड़िता से विवाह करने की कोई मंशा शुरू से नहीं थी, हालांकि इसे एफ.आई.आर. या पीड़िता के बयान में धारा 164 के तहत विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस विलंबित चरण में एफ.आई.आर. और 03.12.2020 को मुसाबनी थाना केस संख्या 58/2020 में पारित संज्ञान आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, और इसके अंतर्गत सभी आपराधिक कार्यवाही जो अब माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, घाटशिला के न्यायालय में लंबित है, उसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए और इस आपराधिक विधिक याचिका, जो किसी योग्यता के बिना है, को खारिज किया जाना चाहिए।

8. विपक्षी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि न तो एफ.आई.आर. में और न ही पीड़िता के बयान में, जो धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है, उसने ऐसा कुछ कहा है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता ने उसकी इच्छा के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है। न ही कोई आरोप है कि सूचना देने वाले/पीड़िता/विरोधी पक्ष संख्या 2 की शारीरिक संबंध के लिए सहमति किसी झूठे विवाह के वादे से प्राप्त की गई थी या यह कि याचिकाकर्ता की सूचना देने वाले से विवाह करने की कोई मंशा शुरू से नहीं थी। न ही कोई आरोप है कि सूचना देने वाले की सहमति उसे या

किसी ऐसे व्यक्ति को डराने-धमकाने से प्राप्त की गई, जिसमें वह रुचि रखती है। न ही कोई आरोप है कि पीड़िता की आयु पहली बार शारीरिक संबंध होने के समय 18 वर्ष से कम थी।

9. जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त)** मामले में कहा है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि वादे का उल्लंघन झूठे वादे के रूप में नहीं कहा जा सकता। झूठे वादे को स्थापित करने के लिए, वादा करने वाले को इसे देने के समय अपने शब्द को बनाए रखने की कोई मंशा नहीं होनी चाहिए।

10. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, सूचनार्थी मूल रूप से कहती है कि उसने याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति दी क्योंकि याचिकाकर्ता उससे शादी करेगा, लेकिन कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कभी उससे शादी करने से इनकार किया या किसी भी समय उससे शादी करने की कोई मंशा नहीं थी; बल्कि आरोप यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता और माता ने सूचनार्थी के साथ याचिकाकर्ता की शादी के लिए सहमति नहीं दी, इसलिए याचिकाकर्ता और सूचनार्थी के बीच विवाह को साकार नहीं किया जा सका।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही एफ.आई.आर. में किए गए आरोप, पीड़िता का धारा 164 के तहत दर्ज बयान और रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य सामग्री को पूरी तरह से सत्य माना जाए, फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनता। अब यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उचित मामलों में एफ.आई.आर. और पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, भले ही आरोप तय किया गया हो। इसलिए, आरोप तय करना पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने में बाधा नहीं है। यह निर्विवाद तथ्य है कि हालांकि वर्ष 2021 में आरोप तय किया गया था, लेकिन अब तक अभियोजन द्वारा एक भी गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों और इस निर्णय में ऊपर की गई चर्चाओं के आधार पर, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस न्यायालय का विचार है कि एफ.आई.आर. और मुसाबनी थाना केस संख्या 58/2020 में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 03.12.2020, जो जी.आर. संख्या 367/2020 (एस.टी. संख्या 31/2021) के अनुरूप है, और इसके अंतर्गत सभी आपराधिक कार्यवाही जो अब माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, घाटशिला के न्यायालय में लंबित है, उसे निरस्त और रद्द किया जाए।

12. इस प्रकार, मुसाबनी थाना केस संख्या 58/2020 में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 03.12.2020, जो जी.आर. संख्या 367/2020 (एस.टी. संख्या 31/2021) के अनुरूप है, और इसके अंतर्गत सभी आपराधिक कार्यवाही जो अब माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II, घाटशिला के न्यायालय में लंबित है, याचिकाकर्ता के खिलाफ निरस्त और रद्द की जाती है।

13. परिणामस्वरुप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

14. तत्काल अपराधिक विधिक याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, लंबित अंतरिम आवेदन (आवेदन) निरर्थक होने के कारण निपटाए जाते हैं।

15. तत्कालअपराधिक विधिक याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को 21.09.2021 की तारीख के आदेश द्वारा प्रदान की गई अंतरिम राहत निरस्त की जाती है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 दिसंबर 2023
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|